बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–200/2026– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता–सह–जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1834/स्था0 दिनांक–06.10.2026 के द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में **श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला, अंचल अधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर द्वारा** आवेदक नामांतरण आवेदन 140 दिनों का तक लंबित रखने के उपरान्त निष्पादित करने, नामांतरण प्रक्रिया के दौरान मृत महिला मालती देवी के नाम से दर्ज आपत्ति को स्वीकार करने, दाखिल–खारिज वाद संख्या–5451/2024–2025 में संलग्न दस्तावेजों में परिवर्तन की शिकायत प्रथम दृष्टया सही प्रतीत पाये जाने एवं उक्त वाद के निष्पादन के क्रम में संदिग्ध भूमिका एवं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने, दाखिल–खारिज आवेदन को स्वत्व वाद संख्या–41/2025 Admission स्तर पर ही विचाराधीन होने के बावजूद अस्वीकृत करने, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत नियत समय–सीमा के अंदर आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने, जाँच में सहयोग नहीं करने, ससमय स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर समर्पित नहीं करने, अंचल से संबंधित विभागीय कार्य यथा–दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, ऑनलाईन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC). अभियान बसेरा–2 एवं आधार सीडिंग के निष्पादन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने एवं एक अन्य मामले में पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र में श्री शुक्ला द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज करने, भू–माफियाओं के साथ गहरी सांठ–गांठ कर व्यापक अनिमितता किये जाने जैसे गंभीर आरोप प्रतिवेदित है।

2. उपर्युक्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव **श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला, अंचल अधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर** को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9(1) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से **निलंबित** किया जाता है।

4. निलम्बन अवधि के लिए इनका **मुख्यालय– प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा** निर्धारित किया जाता है।

5. निलम्बन अवधि में श्री शुक्ला को नियमानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अर्पाल) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–10 के अन्तर्गत जीवन–निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(11)

ज्ञापांक–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–200/2026–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर/आयुक्त के सचिव, सारण प्रमंडल, छपरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर एवं छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–200/2026–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :– श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला, अंचल अधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा में **अविलम्ब** योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करें।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (मुजफ्फरपुर) 02–200/2026–1824(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–07.10.2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/10/26

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।